

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 393 / 2-6 दिनांक, देवरिया, अगस्त 12/ 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग एस0एच0-1 कि0मी0 153 से 154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3482/11-सी,एफ0पी0/यू0पी0/अन्य/16134/2015 दिनांक 21.05.2024 ।


महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बिन्दु संख्या-1 पर उठायी गयी आपत्ति की

आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	आख्या
1	ऑन लाईन-पार्ट-॥ के क्रमांक-4 में हरियाली घनत्व 0.04 अंकित है जबकि एन0पी0वी0 की गणना में 0.4 है। अतः सही हरियाली घनत्व 0.4 ऑन लाईन-पार्ट-॥ में फीड करें	विषयगत प्रस्ताव के ऑन लाईन पार्ट-॥ के क्रमांक-4 में हरियाली घनत्व 0.4 संशोधित कर ऑन लाईन पार्ट-॥ में फीड कर दिया गया है।

भवदीय


(जगदीश कुमार)

प्रभागीय निदेशक/
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

